

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

विज्ञापन

**कलाकार कल्याण कोष के तहत कलाकारों को वित्तीय सहायता हेतु
आवेदन आमंत्रण सूचना**

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग द्वारा कलाकार कल्याण कोष योजना के तहत बिहार राज्य के चाक्षुष कला एवं प्रदर्श कला के कलाकारों को चिकित्सा/ईलाज, कला के क्षेत्र में उच्च शिक्षा, शोध, अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रमों में शिरकत/प्रदर्शन आदि के निमित्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

कलाकार कल्याण कोष योजना के संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश, शर्तें एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट— <https://state.bihar.gov.in/yac> पर उपलब्ध है।

इच्छुक आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन भरकर वांछित कागजात एवं साक्ष्य आदि के साथ निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना-800015 के पते पर वर्ष पर्यन्त निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम से उपलब्ध करा सकते हैं।



निदेशक,

सांस्कृतिक कार्य निदेशालय,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग।

बिहार सरकार
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग
(सांस्कृतिक कार्य निदेशालय)

विज्ञापन

कलाकार कल्याण कोष के तहत कलाकारों को वित्तीय सहायता हेतु आवेदन

कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की योजना कलाकार कल्याण कोष के तहत बिहार राज्य के कलाकारों को वित्तीय सहायता दी जाती है। इसके तहत सहायता हेतु प्राप्त आवेदनों पर निर्णय संबंधी बैठक प्रत्येक माह की जाती है।

(क) चिकित्सा/इलाज हेतु सहायता अनुदान:-

1. बीमार अथवा घायल होने के संबंध में चिकित्सा प्रमाण-पत्र/गंभीर रोग से ग्रसित कलाकार, जिनकी शल्य चिकित्सा होनी है अथवा जिनका ऑपरेशन अद्यतन हुआ है, का प्राक्कलन सरकारी अस्पताल अथवा सी.जी.एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन प्रमाण-पत्र एवं अन्य साक्ष्य संलग्न करना अनिवार्य होगा। अद्यतन प्राकृतिक आपदा से ग्रस्त कलाकार को संबंधित पंचायत के मुखिया या शहरी क्षेत्र के लिए वार्ड पार्षद का प्रमाण-पत्र देना होगा।

(ख) प्रदर्श कला के क्षेत्र में सहायता अनुदान:-

1. अंतर्राष्ट्रीय/राष्ट्रीय महत्व के कार्यक्रम में आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु प्रस्तुति के विभिन्न अवसरों के लिए सहायता दी जा सकती है। निःशुल्क आमंत्रण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. देश के महत्वपूर्ण संस्थानों यथा-राष्ट्रीय नाट्य एकेडमी या समकक्ष कथक केन्द्र/कला केन्द्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में नामांकित होनेवाले राज्य के कलाकारों को उच्च अध्ययन और शोध हेतु एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। आमंत्रण/संस्थान में अध्यापन नामांकन का प्रमाण संलग्न करना अनिवार्य होगा।
3. राज्य के बाहर प्रदर्शन हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकती है। निःशुल्क आमंत्रण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(ग) चाक्षुष कला के क्षेत्र में सहायता अनुदान:-

- 1) अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय महत्व की कला प्रदर्शनियों में आमंत्रण पर शिरकत करने हेतु फीस/प्रदर्शनियों की तैयारी, मार्ग व्यय आदि के रूप में आर्थिक सहायता दी जा सकती है। निःशुल्क आमंत्रण का प्रमाण पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2) देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में मास्टर्स डिग्री और शोध कार्य हेतु प्रतिभाशाली कलाकारों को एकमुश्त आर्थिक सहायता दी जा सकती है। शोध एवं अध्ययन से संबंधित महाविद्यालय के संस्थान प्रमुख का प्रमाण एवं व्यय का प्राक्कलन अनिवार्य होगा।

- 3) राज्य से बाहर महत्वपूर्ण कला दीर्घाओं, आधुनिक कला संग्रहालयों में कला प्रदर्शनी हेतु आर्थिक सहायता दी जा सकती है। इस हेतु कला दीर्घा के आरक्षण का प्रमाण एवं प्राक्कलन संलग्न करना अनिवार्य होगा।

शर्तें :-

1. कलाकार को विहित प्रपत्र में (संलग्न निर्धारित आवेदन प्रपत्र में) अपना नाम, फोटोग्राफ, पिता का नाम, पता, दूरभाष संख्या, कलाकार की उपलब्धि (प्रमाण-पत्र एवं अन्य उपलब्धियों से संबंधित कागजात) संलग्न करना अनिवार्य है। साथ ही साथ आवेदन पत्र के अंत में अपना हस्ताक्षर तिथि के साथ अंकित किया जाय।
2. आवेदक आवेदन पत्र में वर्तमान पत्राचार पता/ई-मेल और दूरभाष/मोबाईल सं०, अंकित करें ताकि बैठक के पूर्व उन्हें सूचना दी जा सके। आवश्यकता होने पर आवेदक को समिति के समक्ष ससमय उपस्थित होना पड़ सकता है। इसके लिए किसी प्रकार का मार्ग व्यय सरकार द्वारा आवेदक को देय नहीं होगा।
3. सहायता अनुदान की स्वीकृति, इसके लिए गठित अनुदान समिति द्वारा दी जायेगी। किसे कितना अनुदान स्वीकृत किया जायेगा, यह अनुदान समिति का क्षेत्राधिकार है। समिति का निर्णय अंतिम होगा।
4. उदीयमान कलाकार, जो अभावग्रस्त परिस्थितियों में हैं और जिनकी मासिक आय ₹ 5000/- (पांच हजार) से कम है, को चिकित्सा के अतिरिक्त उपस्कर, वाद्ययंत्र एवं कला सामग्री के क्रय हेतु समिति की अनुशंसा पर वित्तीय सहायता दी जा सकती है।
5. सरकारी कर्मों को कलाकार कल्याण कोष का लाभ देय नहीं होगा।
6. आवेदकों को कोष से राशि की स्वीकृति उनका अधिकार नहीं माना जाएगा।
7. वैसे कलाकार अनुदान के पात्र होंगे, जिनकी आय 30,000/- रुपये मासिक से ज्यादा नहीं हो। तत्सम्बन्धी आय प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।
8. बिहार राज्य कलाकार कल्याण कोष से सहायता हेतु आवेदन-पत्र विहित प्रपत्र में ही देय होगा (आवेदन पत्र पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी/चिकित्सक के द्वारा सत्यापन कराकर दिये जाने से जांच में सुविधा/शीघ्रता होगी)।
9. कलाकार कल्याण कोष से चिकित्सा हेतु वित्तीय सहायता के लिए आवेदन के साथ सरकारी अस्पताल/अर्द्ध सरकारी अथवा सी.जी.एच.एस. से अनुमोदित अस्पताल का प्राक्कलन संलग्न करना अनिवार्य है।
10. अनुदान हेतु विहित प्रपत्र में आवेदक को अपना परिचय, नाम, पता, ईमेल एवं दूरभाष संख्या (बैंक खाता से लिंक), पैन संख्या तथा आधार संख्या स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए साक्ष्य के रूप में संलग्न कर (बैंक खाता के अनुसार हिन्दी एवं अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में नाम, बैंक का नाम, शाखा, खाता का प्रकार खाता सं० तथा IFSC CODE के साथ), पूरा पता, बायोडाटा, साक्ष्य आदि के साथ संलग्न कर निदेशक, सांस्कृतिक कार्य, नया सचिवालय, विकास भवन, तीसरी मंजिल, पटना-800015 के पते पर वर्ष पर्यन्त निबंधित डाक/कुरियर के माध्यम से भेजा जा सकता है। प्राप्त आवेदनों पर आवश्यकतानुसार समय-समय पर समिति की बैठक में निर्णय लिये जायेंगे। विज्ञापन की प्रति एवं विहित प्रपत्र विभागीय वेबसाईट-<https://state.bihar.gov.in/yac> पर उपलब्ध है।

11. अपूर्ण तथा वांछित कागजात नहीं होने की स्थिति में आवेदन निरस्त कर दिया जायगा।
12. आवेदन में पूर्व पावती रसीद कलाकार द्वारा हस्ताक्षर कर संलग्न करना अनिवार्य है।
13. इस योजना के तहत अनुदान/वित्तीय सहायता मात्र एकबार और एकमुश्त प्रदान की जाएगी।


29/11/21

निदेशक,
सांस्कृतिक कार्य निदेशालय,
कला, संस्कृति एवं युवा विभाग,
बिहार, पटना

कलाकार कल्याण कोष

विहित प्रपत्र

- 1 आवेदक का नाम :- नाम (हिन्दी)-
(बैंक खाता के नाम के अनुसार हिन्दी एवं नाम (अंग्रेजी -
अंग्रेजी में) बड़े अक्षरों में)
- 2 पिता/पति का नाम :-
- 3 आवेदक का पत्राचार का पूर्ण पता (पिन कोड सहित) :-

- 4 दूरभाष सं०/मोबाईल नं० :-
- 5 जन्म तिथि (संलग्न प्रमाण-पत्र के अनुसार) :-
- 6 आधार संख्या (संलग्न साक्ष्य के अनुसार) :-
- 7 पैन नं० (संलग्न साक्ष्य के अनुसार)
- 8 ई-मेल :-
- 9 वर्तमान व्यवसाय/नियोक्ता के नाम एवं पूरा पता :-
- 10 कलाकार/विधा, जिसमें भाग लिया था/है :-

11 कलाकार परिणाम/उपलब्धियाँ (अभिप्रमाणित साक्ष्य के साथ):-

कलाकार/विधा	वर्ष	स्थान	उत्सव/महोत्सव का नाम	प्राप्त स्थान	अभियुक्ति

कृपया सभी राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में राज्य का प्रतिनिधित्व करने से संबंधित दस्तावेजों की प्रतियाँ संलग्न करें।

- 12 परिस्थितियाँ एवं उद्देश्य जिसके लिए वित्तीय सहायता अपेक्षित है :-
- 13 अपेक्षित वित्तीय सहायता की राशि :-
- 14 पूर्व में विभाग से प्राप्त अनुदान का ब्योरा :-
- 15 आवेदक की सभी श्रोतों से वार्षिक आय :-
- 16 अन्य श्रोतों से यदि इस प्रयोजनार्थ कोई वित्तीय सहायता ली गयी हो, तो सहायता राशि सहित ब्योरा अपेक्षित है। :-

17 बैंक खाता की विवरणी
(संलग्न साक्ष्य के अनुसार)

:- बैंक खाता सं०—
बैंक खाता का प्रकार—
बैंक का नाम—
बैंक शाखा का नाम—
IFSC Code-

मैं घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त अंकित सभी विवरणी
सत्य है।

दिनांक—

आवेदक का हस्ताक्षर

स्थान—

नाम